

 <p>आज़ादी का अमृत महोत्सव</p> <p>पश्चिम मध्य रेल West Central Railway</p>	 <p>जबलपुर मंडल Jabalpur Division</p>	<p>कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक(कार्गिक),जबलपुर Office of the Divisional Railway Manager(Personnel) Jabalpur</p>
---	--	---

पत्र क्र. पमरे/का.जबल/ e-file no.164155/ ईजी / Re-Engagement

दिनांक : 19.12.2022

सर्व संबंधित
पमरे/जबलपुर मंडल

अधिसूचना

रेलवे बोर्ड के पत्र क्र. 2021/W-I/Genl./Gati shakti दिनांक 27.07.2022 के संदर्भ में विभिन्न कोटियों में सेवानिवृत्त हुए हेतु रेल कर्मचारियों को पुनर्नियोजित करने के प्रावधान जारी किये हुए हैं, जिसके अंतर्गत इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 15.11.2022 द्वारा कुल 09 पदों हेतु अधिसूचना जारी की गई जिसमें गति शक्ति यूनिट हेतु भरे जाने वाले शेष रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

S.No.	Department	Designation	No of Post
1	Engineering	SSE/Works	02
2	Signal & Telecom	SSE/Signal	01
Total			03

अ) आवेदन हेतु शर्तें:-

1. पुनर्नियोजित कर्मचारी को संरक्षा संबंधी सेवा निवृत्त योजना (LARGESS) /स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/ अनिवार्य सेवानिवृत्ति/रेल सेवा से निष्कासित एवं बर्खास्त के अधीन सेवा निवृत्त नहीं होना चाहिए।
2. कर्मचारी का पुनर्नियोजन चिकित्सीय सक्षमता परीक्षा के बाद निर्णित होगा।
3. पुनर्नियोजन हेतु सेवानिवृत्त कर्मचारी की उपयुक्तता उनके सेवा रिकार्ड के आधार पर जाँची जावेगी।
4. आवेदन हेतु सेवानिवृत्त कर्मचारी की आयु अधिसूचना जारी होने की दिनांक को 65 वर्ष से कम होनी चाहिए एवं यदि सेवानिवृत्त कर्मचारी 65 वर्ष की आयु पुनर्नियोजन अवधि पूर्ण होने से पूर्व प्राप्त कर लेता है तब सेवानिवृत्त कर्मचारी की सेवा स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
5. उल्लेखित मापदण्डों एवं उपयुक्तता के आधार पर प्राप्त आवेदनों को नामित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जांच कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त पुनर्नियोजन संबंधी निर्णय लिया जायेगा।
6. जबलपुर मण्डल पर सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को गतिशक्ति प्रोजेक्ट के अंतर्गत जहां भी प्रशासन चाहेगा कार्य हेतु लगाया जा सकता है।
7. सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को पुनर्नियोजन हेतु आवेदन उपरोक्त विभिन्न कोटियों में स्वीकार किये जायेंगे तथा पुनर्नियोजित कर्मचारियों की सेवा को सक्षम अधिकारी की अनुमति से बिना किसी नोटिस के समाप्त किया जा सकता है। पुनर्नियोजन की अवधि रेलवे बोर्ड के प्राप्त दिशा-निर्देशों के अधीन रहेगी।
8. जबलपुर मंडल से सेवा निवृत्त कर्मचारियों को मंडल की कार्यशैली से परिचित होने के कारण प्राथमिकता दी जावेगी।
9. पुनर्नियोजित किए गए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पालियों में भी कार्य करना पड़ेगा जिसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार का रात्रिकालीन कार्य भत्ता नहीं दिया जायेगा।
10. एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के पुनर्नियोजित के मासिक पारिश्रामिक का निर्धारण उसकी पेंशन को उसके अंतिम आहरित वेतन (अर्थात मूल वेतन+डीए) से घटाकर किया जाएगा, नियमानुसार मासिक आधार पर सामान्य आयकर की कटौती की जाएगी तथा भुगतान "नो-वर्क-नो-पे" के आधार पर किया जाएगा।

Subodh

11. पुनर्नियोजित कर्मचारियों की ड्यूटी के घंटे संबंधित श्रेणी की कार्य स्थितियों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
12. आवेदन अनुलग्नक-ए के रूप में संलग्न प्रोफार्मा में किये जाने चाहिए।
13. पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों का वेतन, छुट्टियां, देय भत्ते आदि प्रचलित रेलवे बोर्ड तथा मुख्यालय के दिशा-निर्देशों के अधीन रहेगा।

आवेदन के लिए आवश्यक सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें :-

1. सेवा प्रमाण-पत्र।
2. पेंशनभोगी पहचान-पत्र।
3. पेंशन भुगतान आदेश।
4. बैंक की पासबुक का प्रथम पृष्ठ जिसमें खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड दर्शाया गया हो।
5. आधार कार्ड।
6. पेन कार्ड।
7. तीन पासपोर्ट साइज फोटो।

इच्छुक सेवा निवृत्त कर्मचारी/दिनांक 26.12.2022 तक अपना आवेदन ईजी अनुभाग (कार्मिक) मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय जबलपुर में जमा कर सकते हैं।

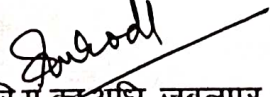
सभी शाखाधिकारियों एवं सभी डिपो सुपरवाइजर्स से अनुरोध है कि उपरोक्त योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें तथा अधीनस्थ कार्यरत इच्छुक रेल सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों का आवेदन प्राप्त कर मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक) को अग्रेषित करें।

अधिसूचना हेतु एक छोटा विज्ञापन अखबार में जारी किया गया है तथा इसकी विस्तृत सूचना पमरे की वेबसाइट पर दी गयी है।

संलग्न :- आवेदन का प्रारूप (02)।


(सुबोध विश्वकर्मा)
वरि.मं.का.अधि., जबलपुर / पमरे

- प्रति:- मं.रे.प्र./अ.मं.रे.प्र. जबलपुर को सादर सूचनार्थ।
प्रति:- वरि.मं.सं.दू.सं.अभि. जबलपुर को सूचनार्थ। कृपया वेबसाइट में अधिसूचना जारी करने हेतु।
प्रति:- सर्व संबंधित मुख्य कार्यालय अधीक्षक/कार्यालय अधीक्षक जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
प्रति:- कार्यालय अधीक्षक निपटारा अनुभाग जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
प्रति:- वे.से.रे.इम्प.यू./वे.से.रे.म.संघ/एस.सी-एस.टी/ओ.बी.सी. एसो. जबलपुर को सूचनार्थ।


वरि.मं.का.अधि., जबलपुर / पमरे

आवेदन का प्रारूप

हाल ही का
खिचा गया
फोटो (तीन माह
से पुराना न हो)

1. वर्तमान में कर्मचारी सेवानिवृत्त है (हाँ/नहीं):.....
2. आवेदक का नाम :.....
3. पिता का नाम :.....
4. पदनाम :.....
5. विभाग :.....
6. भविष्य निधि क्र./टिकट न. :.....
7. स्टेशन :.....
8. वेतनमान :.....
9. वेतन :.....
10. जन्म तिथि :.....
11. भर्ती तिथि :.....
12. शैक्षणिक योग्यता :.....
13. स्थायी पता :.....
14. जाति(सामा,अजा,अजजा,अपिव.):.....
15. सेवा निवृत्ति की तिथि :.....
16. पी.पी.ओ.नम्बर :.....
17. कुल सेवा काल :.....
18. 65 वर्ष पूर्ण करने की तिथि :.....
19. बैंक विवरण :

बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी

20. पैन कार्ड नम्बर :.....
21. आधार कार्ड नम्बर :.....
22. मोबाईल नम्बर :.....

घोषणा पत्र

विषय:—सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को गति शक्ति यूनिट हेतु रेल सेवा में पुनर्नियोजित करने बाबत।

पश्चिम मध्य रेलवे की गति शक्ति यूनिट जबलपुर मण्डल में पुनर्नियोजन हेतु मेरे आवेदन के संदर्भ में मैंएतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे खिलाफ कोई डीएंडएआर और सतर्कता मामले लंबित नहीं है, मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण सत्य और सही है। किसी भी गलत जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा और इसके लिए मेरी पुनर्नियोजन सेवा समाप्त की जा सकती है।
मुझे ज्ञात है कि :-

1. पुनर्नियोजन के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष है। मैं दिनांकको 65 वर्ष पूर्ण कर लूँगा और इस तिथि के बाद सेवा जारी रखने के लिए कोई दावा प्रस्तुत नहीं करूँगा।
2. बिना कारण बताये किसी भी समय रेलवे यह व्यवस्था समाप्त कर सकती है या यदि पुनः नियुक्त कर्मचारी मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग पाया जाता है।
3. पुनर्नियोजित कर्मचारी प्रशासनिक कार्य जैसे कर्मचारी की छुट्टी की स्वीकृति का कार्य नहीं करेगा।
4. पुनर्नियोजित कर्मचारी के पास कोई वित्तीय शक्ति नहीं होगी।
5. पुनर्नियोजित कर्मचारी के लिए कार्य समय नियमित कर्मचारी के जैसे (एच.ओ.ई.आर. अंतर्गत अनुबद्ध) विश्राम अवधि सहित होगा।
6. मैं रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(NG)-II/2007/RC-4/CORE/1, दिनांक 16/10/2017 (आरबीई संख्या 150/2017) और दिनांक 12/12/2017 (आरबीई संख्या 193/2017) एवं E(NG)II/2007/RC-4/Core/1 dated 24.10.2019 में उल्लेखित नियमों और शर्तों तथा भारतीय रेल द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश के अधीन पुनर्नियोजन के लिए तैयार हूँ।
7. पुनर्नियोजित कर्मचारी दैनिक भत्ता के अलावा अन्य कोई भत्ता के लिए पात्र नहीं होगा।

मेरा अंतिम आहरित वेतन रूपया.....था और वर्तमान में मैं मासिक पेंशन रूपया.....पा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि दैनिक भत्ता और पूरी पेंशन अंतिम आहरित वेतन से अधिक नहीं होगा।

प्रार्थी

हस्ताक्षर

नाम

मो.न.

पता

.....